


- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जान एवं प्राणीनाम ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इच्छाम पूरस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है :-

पूर्व इन्द्राज					सर्वीकृत किया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	पान्थ संख्या	खानेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खानेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
3187/77	9	अमरनाथ पुत्र	115	0.40	अमरनाथ पुत्र	115	0.40
		शशीशराम, लीला	116	0.01	शशीशराम लीला	116	0.01
		दीपवान, लीला			दीपवान, लीला		

  
शिविर प्रभारी


(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक 947

पञ्जाब राज्यपाल

1. उप तहसीलदार, मौलासर

  
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

पञ्जाब राज्यपाल

1. जिला कलक्टर  
मौलासर सुनिश्चिता कार्रवाई

2. जिला कलक्टर जिला जे. प्रान्त, पञ्जाब राज्यपाल के कार्यालय में नहीं है। तब निम्नलिखित

उप तहसीलदार, मौलासर